



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042026-271658  
CG-DL-E-09042026-271658

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1728]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948

No. 1728]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

का.आ. 1796(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 ए की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 5227 (ई) तारीख 17 नवम्बर 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), म प्रकाशित क गई थी, द्वारा अंतर्गत गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर कि.मी. 570/000 (बेंदोर्देम) से कि.मी. 584/715 (काणकोण बायपास की शुरुवात) तक 4-लेन हेतु भूमि अधिग्रहण (छूटे हुए क्षेत्र)।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3ए) के अधीन तारीख 22/11/2025 को "नवहिंद टाइम्स", "गोवन वार्ता" और "भांगर भूई" में प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस विषय में सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उप-धारा (1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनिसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी !

### अनुसूची

गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर कि.मी. 570/000 (बेंदोर्देम) से कि.मी. 584/715 (काणकोण बायपास की शुरुवात) तक 4-लेन हेतु भूमि अधिग्रहण (छूटे हुए क्षेत्र)।

राज्य का नाम: गोवा			जिले का नाम: दक्षिण गोवा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: क्रेपम					
गांव का नाम: पाडी					
1	29/6(भाग)	निजी	बाग क्षेत्र	0.01	ओ: 1) अच्युत काशीनाथ सीकरकर 29/6(Part)
गांव का नाम: बारसेमं					
2	17/1 (भाग)	निजी	आंशिक रूप से प्राकृतिक आवरण, आंशिक रूप से बाग और आंशिक रूप से बस्ती	0.0335	ओ: 1) बेला रासा अल्मेडा 2) कम्पुनिडेड डी प्रोविसिया डी बल्ली 3) नारायण ढोलो गांवकर 4) फोंडू ढोलो गांवकर 5) नागु पुनो गांवका 17 /1 (Part)
3	38/4(भाग)	निजी	धान का क्षेत्र	0.0155	ओ: 1) नारायण काटू गौंकर 2) सेल्फ टी: 1)

					सेल्फ 38/4(Part)
तालुक का नाम: कनकना					
गांव का नाम: कनकना (म्युनिसिपैलिटी)					
4	91/1(भाग)	निजी	बस्ती क्षेत्र	0.012	ओ: 1) मल्लिकार्जुन देवस्थान 91/1(Part)
5	98/5(भाग)	निजी	बाग क्षेत्र	0.056	ओ: 1) श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान टी: 1) राम कुइरो वेलिप 98/5(Part)
<b>Total</b>				<b>0.127</b>	

[फा. सं. RW/NH-37014/1/2016-NHDP-IVA/3D1]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2026

**S.O. 1796(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 5227 (E), dated 17th November 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 (A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Land acquisition for four lanning of NH-66 from Km. 570/000 (Bendordem) to Km. 584/715 (Start of Canacona Bypass) in the state of Goa (Missing Pockets).

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Navhind Times, Govan Varta and Bhaangar Bhuin” dated 22/11/2025 under sub-section (3) of section 3 (A) of the said Act:

And whereas, no objections have been received and the same have been considered by the competent authority:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3 (D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3 (D) of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3 (D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the Land acquisition for four lanning of NH-66 from Km. 570/000 (Bendordem) to Km. 584/715 (Start of Canacona Bypass) in the state of Goa. (Missing Pockets)

State: GOA			District: SOUTH GOA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Quepem</b>					
<b>Village: Padi</b>					
1	29/6(Part)	Private	Orchard zone	0.01	O: 1) Achut Kashinath Sikerkar 29/6(Part)
<b>Village: Barcem</b>					
2	17 /1(Part)	Private	Partly natural cover, partly orchard and partly settlement	0.0335	O: 1) Bella Rasa Almeida 2) Comunidade de Provincia de Balli 3) Narayan Dholo Gaonkar 4) Fondu Dholo Gaonkar 5) Nagu Puno Gaonka 17 /1 (Part)
3	38/4(Part)	Private	Paddy field	0.0155	O: 1) Narayan Katoo Gaunkar 2) Self T: 1) Self 38/4(Part)
<b>Taluk: Canacona</b>					
<b>Village: Canacona (Municipality)</b>					
4	91/1(Part)	Private	Settlement zone	0.012	O: 1) Mallikarjun Devasthan 91/1(Part)
5	98/5(Part)	Private	Orchard zone	0.056	O: 1) Shri Mallikarjun Devasthan T: 1) Ram Kuro Velip 98/5(Part)
<b>Total</b>				<b>0.127</b>	

[F. NoRW/NH-37014/1/2016-NHDP-IVA/3D1]  
SHAIKH AMINKHAN, Director